विधि-विवरणिका

बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स)
(पंचवर्षीय कार्यक्रम)

2021-22

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा 1996 ई. में पारित अधिनियम के अंतर्गत 1997 ई. में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई। देश का यह पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम (वर्धा) से लगभग दस किलोमीटर दूर नागपुर-मुंबई राजमार्ग पर अवस्थित है। विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल लगभग 212 एकड़ है।

विश्वविद्यालय की स्थापना सुदीर्घ प्रयत्नों का सुफल है। हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के साथ ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समर्थ माध्यम के रूप में हिंदी का सम्यक् विकास इसका प्रधान लक्ष्य है। देश-दुनिया की भाषाओं के साथ हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन तथा उनसे अधुनातन अनुशासनों की अद्यतन ज्ञान-सामग्री का हिंदी में अनुवाद और विकास विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। आज के बहुभाषा-भाषी विश्व में एक समर्थ अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की पहचान स्थापित करना भी विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है। विश्वविद्यालय में भाषा विद्यापीठ, साहित्य विद्यापीठ, संस्कृति विद्यापीठ, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, विधि विद्यापीठ, शिक्षा विद्यापीठ एवं प्रबंधन विद्यापीठ के अंतर्गत शोध, परास्नातक, स्नातक, पी.जी. डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रयागराज तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र हैं जहाँ कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में दूर शिक्षा निदेशालय है जहाँ दूर शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है।

विश्वविद्यालय ने अपने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए 2011 ई. से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस विश्वविद्यालय में आवासीय परिसर के साथ साइबर परिसर की सह-परिकल्पना की गई है। इसके लिए आधुनिक तकनीकी उपादानों को संयोजित किया गया है। साइबर परिसर को संभव बनाने के लिए विश्वविद्यालय में 'लीला' (Laboratory in Informatics for Liberal Arts) की स्थापना की गयी है। पारंपरिक पुस्तकालय के साथ डिज़िटल पुस्तकालय का विकास भी विश्वविद्यालय की योजना का अंग है। मौलिक और मानक ग्रंथों का प्रकाशन, दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों, दस्तावेज़ों का संग्रह, विश्वकोशों और संदर्भकोशों का निर्माण आदि विश्वविद्यालय की अनूठी योजनाएँ हैं।

कुलपति का संदेश ...

प्रिय छात्र-छात्राओं!

अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय परिसर में आपका स्वागत।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत भारती हिंदी को केंद्र में रख कर विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का सृजन करने और समर्थ युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गई। विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा होती है कि वहाँ से उपजते नए विचार और नवाचार जीवन की गुणवत्ता के संवर्धन में सहायक होंगे। सूचना और ज्ञान के विस्फोट के वर्तमान युग में शिक्षा संस्थानों के लिए ज्ञान को व्यापक समाज तक प्रभावी ढंग से पहुँचाना एक जटिल चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में यह विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को एक जीवंत शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवेश उपलब्ध कराता है जहाँ विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति और कुलाध्यक्ष ने भाषा, साहित्य, संस्कृति, अनुवाद एवं निर्वचन, सामाजिक विज्ञान, विधि, शिक्षा तथा प्रबंधन के विद्यापीठों में अध्ययन-अध्यापन और शोध की अनुमति दी है। इस सत्र से हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से विधि शिक्षा के उद्देश्य से बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) पंचवर्षीय कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। इस समय संचालित शैक्षिक विभाग एवं केंद्र इस प्रकार हैं:- भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, भारतीय भाषा, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य, मराठी साहित्य, संस्कृत साहित्य, गांधी एवं शांति अध्ययन, स्त्री अध्ययन, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन, डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन, दर्शन एवं संस्कृति, अनुवाद अध्ययन, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन, पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षा, जनसंचार, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी, प्रदर्शनकारी कला, मानवविज्ञान, मनोविज्ञान तथा प्रबंधन एवं वाणिज्य। इन विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन-अध्यापन और शोध किया जाता है। हिंदी भाषा के बहुविध प्रयोग को समर्थ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निदेशालय अनेक विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

कोविड-19 ने शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती खड़ी की है। विश्वविद्यालय ने इस चुनौती को स्वीकार कर कक्षाओं सहित सभी अकादमिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने अपने अन्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कई कार्य किये। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है।

इस विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया में संचार की नई तकनीकों, कल्पनाशीलता तथा सीखने के अनुभवपरक अवसरों के साथ-साथ सामाजिक जीवन से जुड़ने को भी महत्त्व दिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्राकृतिक परिवेश और अध्ययन के लिए उपलब्ध सुविधाओं के साथ आप एक सक्रिय विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय को "A" ग्रेड प्रदान किया गया है जो विश्वविद्यालय के उच्च शैक्षिक स्तर का द्योतक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के क्रियान्वयन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय कृतसंकल्प है तथा इस दिशा में देश के अग्रगण्य विश्वविद्यालय के रूप में अग्रसर है।

मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी और महान संत विनोबा भावे की कर्मभूमि में स्थित यह विश्वविद्यालय आपके समग्र व्यक्तित्व का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से विकास करते हुए आपको एक योग्य व्यक्ति बनने का अवसर देगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारी आने वाले सभी विद्यार्थियों के अध्ययन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएँगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल)
कुलपति

अनुक्रम

1. विश्वविद्यालय विधिक शिक्षा सलाहाकार समिति ---- 01
2. विधि विद्यापीठ ---- 02
3. विधि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम ---- 03
4. विश्वविद्यालय के विद्यापीठ (विभाग एवं केंद्र) ---- 04
   भाषा विद्यापीठ ---- 04
   साहित्य विद्यापीठ ---- 05
   संस्कृति विद्यापीठ ---- 06
   अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ ---- 07
   सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ---- 08
   शिक्षा विद्यापीठ ---- 09
   प्रबंधन विद्यापीठ ---- 09
5. क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता ---- 10
6. क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज ---- 10
7. दूर शिक्षा निदेशालय ---- 11
8. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी कार्यक्रम ---- 11
9. शुल्क-विवरण ---- 13
10. प्रवेश के नियम ---- 14-15
11. रैगिंग निषेध संबंधी विवरण ---- 15
12. उपलब्ध सुविधाएँ ---- 16-19
13. अकादमिक कैलेंडर 2021-22 ---- 19
14. प्रवेश कार्यक्रम 2021-22 ---- 20
15. कोविड-19 जागरूकता ---- 22

श्री राम नाथ कोविंद
कुलाध्यक्ष

प्रो. कमलेशदत्त त्रिपाठी
कुलाधिपति

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल
कुलपति

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
प्रतिकुलपति एवं
वित्त अधिकारी

डॉ. चंद्रकांत एस. रागीट
प्रतिकुलपति

क़ादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव

विश्वविद्यालय विधिक शिक्षा सलाहकार समिति

मा. न्यायमूर्ति भूषण आर. गवई
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
(अध्यक्ष)

न्यायमूर्ति आर.सी. चव्हाण
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ
(सदस्य)

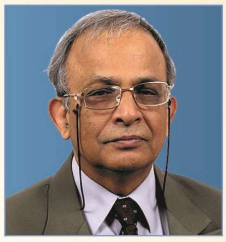

प्रो. एन.एल. मित्रा
पूर्व कुलपति, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु एवं सदस्य
विधिक शिक्षा समिति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया
(सदस्य)

श्री सतिश ए. देशमुख
उपाध्यक्ष
बार काउंसिल ऑफ इंडिया
(सदस्य)

प्रो. विजेन्दर कुमार
कुलपति
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागपुर
(सदस्य)

प्रो. बी.एन. पाण्डेय
पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय
सदस्य, विधिक शिक्षा समिति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया
(सदस्य)

प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी
विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
(सदस्य)

विधि विद्यापीठ

न्यायाधारा हि साधवः

(साधुजन न्यायावलम्बी होते हैं)

दृष्टि :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 की अपेक्षाओं के अनुरूप मातृभाषा में पठन-पाठन की भावना को बलवती करते हुए प्रथमतः हिंदी तथा आगामी वर्षों में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं में विधिक शिक्षा प्रदान करने का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाय जिसके माध्यम से वकालत की कला में दक्ष अधिवक्ता तथा न्याय प्रदान करने में सक्षम न्यायाधीश का निर्माण किया जाय।

मूट कोर्ट

- हमारी सहज दृष्टि है कि विधिक शिक्षा को न्याय शिक्षा के रूप में विकसित किया जाय जिससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन का संवैधानिक संकल्प सिद्ध किया जा सके। हमारा यह राष्ट्रीय दायित्व है कि विधिक व्यवस्था में ऐसे घटकों का अवदान करें जो राष्ट्र और समाज में न्याय, समता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना अवदान प्रस्तुत कर सकें। विश्वविद्यालय अधिवक्ता के कलेवर में समाज के समक्ष न्याय प्रदाता अभिकर्ता के रूप में अपने स्नातकों को प्रस्तुत करने के लिये प्रतिबद्ध है।

उद्देश्य :

- क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में विधिक शिक्षा का संचालन।
- शांति, सौहार्द्रपूर्ण एवं न्यायमय समाज निर्माण हेतु प्रशिक्षित एवं लक्ष्य निष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायाधीश तैयार करना।
- वाद-विहीन भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समर्पित न्याय योद्धा तैयार करना।
- विधि के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमर्श एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करना।

बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स)
(पंचवर्षीय कार्यक्रम)

(बार कौंसिल ऑफ इंडिया के पंत्राक D-35: 2021(LE/Std-26th-27th/-28 th Dec, 2020)
(दिनांक 25.01.2021 द्वारा मान्यता प्राप्त)

कार्यक्रम : बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) पंचवर्षीय कार्यक्रम

क्रेडिट : 30 प्रति सेमेस्टर (कुल 300 क्रेडिट)

पात्रता : 10+2 या समकक्ष परीक्षा अनारक्षित वर्ग 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण।

आयु-सीमा : 01 जुलाई 2021 को अधिकतम 22 वर्ष।

आरक्षण : भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार।

सीटें : 66

प्रवेश : प्रवेश परीक्षा के आधार पर। प्रवेश परीक्षा की मेरिट हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% (आरक्षित वर्गों के लिए 45%) अंक लाना अनिवार्य है।

कार्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि : 10 वर्ष

कार्यक्रम : एलएल.एम. (द्विवर्षीय) कार्यक्रम सत्र 2022-23 से प्रस्तावित

पात्रता : विधि स्नातक (त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय) अनारक्षित वर्ग 55%, आरक्षित वर्गों के लिए 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण।

आरक्षण : भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार।

कार्यक्रम : पी-एच.डी. कार्यक्रम सत्र 2022-23 से प्रस्तावित

पात्रता : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार।

आरक्षण : भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार।

नोट :
1. प्रत्येक कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
2. अन्य भारतीय भाषाओं में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों का माध्यम संबंधित भाषा होगी, जिसकी अधिसूचना यथासमय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

विश्वविद्यालय के विद्यापीठ, विभाग एवं केंद्र

भाषा विद्यापीठ

भाषा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ की संकल्पना भाषा केंद्रित अध्ययन के एक अनूठे केंद्र के रूप में की गयी है। हिंदी भाषा का विकास, प्रोन्नयन और पहचान स्थापित करना विद्यापीठ का मूल उद्देश्य है। एतदर्थ हिंदी की प्रभावी प्रकार्यात्मक क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में उसका विकास विद्यापीठ का अभीष्ट लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यापीठ की मुख्य कार्य-योजनाएँ इस प्रकार हैं–

1. हिंदी भाषा के सभी पक्षों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन।
2. हिंदी एवं उसकी आधार भाषाओं (अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, मालवी आदि) संबंधी सर्वेक्षण तथा अध्ययन।
3. हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन।
4. भाषाविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को हिंदी के लिए सुलभ बनाना।
5. हिंदी के लिए प्रौद्योगिकीय उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर का विकास।
6. भाषाविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी मौलिक ज्ञान का हिंदी में सृजन।
7. हिंदी के क्षितिज-विस्तार के लिए विदेशी भाषाओं का अध्ययन।
8. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन।

इन कार्य-योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और विविध प्रकार के विस्तार कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। भाषा विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग/केंद्र स्थापित किये गये हैं–

1. भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी (भाषाविज्ञान), पी-एच.डी. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी), पी-एच.डी. हिंदी (भाषाशिक्षण)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- भाषाशिक्षण में पी.जी. डिप्लोमा
- भाषाविज्ञान में पी.जी. डिप्लोमा

2. विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. स्पैनिश (भाषा/भाषाविज्ञान/अनुवाद)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- पी-एच.डी. फ्रांसीसी (भाषा/ भाषाविज्ञान/अनुवाद)
  स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
  राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- पी-एच.डी. चीनी (भाषा/भाषाविज्ञान/अनुवाद)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- स्पैनिश भाषा में सर्टिफिकेट
- फ्रांसीसी भाषा में सर्टिफिकेट
- चीनी भाषा में सर्टिफिकेट
- जापानी भाषा में सर्टिफिकेट

3. सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. इंफॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग
- एम.सी.ए
- एम.टेक. (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- कंप्यूटर अनुप्रयोग में पी.जी. डिप्लोमा

4. भारतीय भाषा विभाग

संचालित कार्यक्रम

- संस्कृत भाषा में सर्टिफिकेट
- मराठी भाषा में सर्टिफिकेट
- उर्दू भाषा में सर्टिफिकेट

साहित्य विद्यापीठ

साहित्य विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। साहित्य विद्यापीठ हिंदी के साथ-साथ भारतीय एवं विश्व साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय के उद्देश्य में ही निहित है कि हिंदी भारतीय भाषाओं से संवाद करती हुई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो।

साहित्य समावेशी विद्या है, ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों और कलाओं के साथ उसका घनिष्ठ संबंध रहा है। इस दृष्टि से अंतरानुशासनिक अध्ययन एवं शोध इस विद्यापीठ की प्रमुख गतिविधि है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग स्थापित किये गये हैं:–

1. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक भारतीय साहित्य)
- एम.ए. हिंदी (अनुवाद)
- एम.ए. हिंदी (भाषाशिक्षण)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- स्नातक अंग्रेजी (ऑनर्स) (2019-22)
- बी.ए. हिंदी (2020-23)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

2. प्रदर्शनकारी कला विभाग

संचालित कार्यक्रम.

- पी-एच.डी. (नाट्यकलाशास्त्र)
- एम.ए. (नाट्यकलाशास्त्र)
- एम.ए. (फिल्म अध्ययन)
- बी.वोक. (फिल्म निर्माण) (2019-22)
- बी.वोक. (अभिनय एवं मंच विन्यास) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

3. मराठी साहित्य विभाग

संचालित कार्यक्रम

- एम.ए. मराठी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

4. संस्कृत साहित्य विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. संस्कृत
- एम.ए. संस्कृत
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

संस्कृति विद्यापीठ

संस्कृति विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। संस्कृति विद्यापीठ दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक अध्ययन, समाजविज्ञान विमर्श एवं बहुसांस्कृतिक अकादमिक विकास के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। विद्यापीठ की गतिविधियाँ सामाजिक न्याय एवं शांतिपूर्ण विकास के मूल्यों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हिंदी भाषा में गंभीर समाजविज्ञान विमर्श, अंतरानुशासनिक अध्ययन एवं शोध के माध्यम से समाज व संस्कृति के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों के अहिंसक एवं शांतिपूर्ण समाधान की तलाश, वंचित एवं हाशिये के समूहों की बराबरी के संघर्ष का अध्ययन करना इस विद्यापीठ के प्रमुख लक्ष्य हैं।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विभाग/केंद्र स्थापित किये गये हैं–

1. गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. गांधी एवं शांति अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- मानवाधिकार में पी.जी. डिप्लोमा
- गांधी विचार में पी.जी. डिप्लोमा

2. स्त्री अध्ययन विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. स्त्री अध्ययन
- एम.ए. स्त्री अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
  जेंडर अध्ययन में पी.जी. डिप्लोमा

3. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. दलित एवं जनजातीय अध्ययन
- एम.ए. दलित एवं जनजातीय अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- दलित विचार में पी.जी. डिप्लोमा

4. डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. बौद्ध अध्ययन
- एम.ए. बौद्ध अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- बौद्ध अध्ययन में पी.जी. डिप्लोमा

5. दर्शन एवं संस्कृति विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. दर्शनशास्त्र
- एम.ए. दर्शनशास्त्र
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की अनुरूपता में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं–

1. अनुवाद संबंधी शोध, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का संचालन।
2. भारत और भारत के बाहर विभिन्न ज्ञानानुशासनों के क्षेत्र में संपन्न अनुसंधान और ज्ञान-सामग्री को मुख्यतः हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में विकसित करना और उपलब्ध कराना।
3. हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के लिए अनूदित आधार सामग्री का विकास करना।
4. भारतीय भाषाओं के मध्य संवाद एवं आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए सेतु भाषा के रूप में संस्कृत को विकसित करने के उपाय करना।
5. हिंदी में ज्ञान के विकास और मौलिक ज्ञान के सृजन के लिए भारतीय निर्वचन परंपरा का पुनरन्वेषण एवं तदनुरूप उपर्युक्त पद्धतियों का विकास।
6. कौशल संपन्न अनुवादकों, आशु-अनुवादकों एवं निर्वचन-कर्ताओं को तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें व्यावसायिक समूहों से संबद्ध करना।
7. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासित/डायस्पोरा समुदाय की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का भारतीय संस्कृति की सापेक्षता में अध्ययन।

उपरिलिखित कार्य-योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग/केंद्र स्थापित किये गये हैं–

1. अनुवाद अध्ययन विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा

3. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- भारतीय डायस्पोरा में पी.जी. डिप्लोमा

4. पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन केंद्र

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के सहकार से भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा अनुवाद एवं निर्वचन केंद्रित विषयों पर परानुशासनिक (Transdisciplinary) शोध एवं ज्ञान सर्जन के लिए स्थापित है। वे अभ्यर्थी जो अपने ज्ञानानुशासन की मर्यादाओं से आगे बढ़कर ज्ञान को उसकी संश्लिष्टता एवं एकान्विति में आविष्कृत करना चाहते हैं, इस केंद्र में रिक्त पी-एच.डी. सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश हेतु अर्हताएँ अन्य पी-एच.डी. कार्यक्रमों के समान होंगी। इस केंद्र के अंतर्गत सीटें पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान.सर्जन केंद्र के साथ सहयोजित शोध-निर्देशकों के मूल विभागों से स्थानांतरित की गयीं हैं।

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ की स्थापना 2010 ई. में हुई। यह विद्यापीठ हिंदी भाषा के माध्यम से समाज विज्ञान के नवाचारी एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध है। समाज में जनमत निर्माण, मीडिया हस्तक्षेप, समाज कार्य एवं भारतीय समाज की मानवशास्त्रीय व्याख्या आदि अकादमिक एवं व्यावहारिक विमर्श इस विद्यापीठ की गतिविधियों का लक्ष्य है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से यह विद्यापीठ समाज से सीधे जुड़कर अपनी शोध एवं अकादमिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इस विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग/केंद्र स्थापित किये गये हैं–

1. महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. समाज कार्य
- एम.एस.डब्ल्यू.
- बी.एस.डब्ल्यू. (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता में एडवांस्ड डिप्लोमा
- हथकरघा प्रौद्योगिकी में एडवांस्ड डिप्लोमा

2. जनसंचार विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. जनसंचार
- एम.ए. जनसंचार
- बी.जे.एम.सी. (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

3. मानवविज्ञान विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. मानवविज्ञान
- एम.ए. मानवविज्ञान
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- फोरेंसिक साइंस में डिप्लोमा (अंशकालिक)

4. राजनीति विज्ञान विभाग

संचालित कार्यक्रम

- एम.ए. राजनीति विज्ञान
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

5. समाजशास्त्र विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. समाजशास्त्र
- एम.ए. समाजशास्त्र
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

6. इतिहास विभाग

संचालित कार्यक्रम

- एम.ए. इतिहास
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

शिक्षा विद्यापीठ

शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से एक है। शिक्षा विद्यापीठ का प्रमुख लक्ष्य विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अनुरूप ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो हिंदी भाषा एवं साहित्य सहित विभिन्न ज्ञानानुशासनों में हिंदी माध्यम से राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण कर सकें। इस हेतु विद्यापीठ द्वारा शिक्षकों, अध्यापक-शिक्षकों एवं शिक्षाशास्त्र के अध्येताओं के लिए श्रेष्ठ अकादमिक और वृत्तिक विकास के अवसरों को उपलब्ध कराया जाता है। इस विद्यापीठ में भावी शिक्षकों एवं अध्येताओं को समग्र विकास का ऐसा परिवेश उपलब्ध कराया जाता है जिससे वे सुयोग्य, समर्थ, रचनाधर्मी, प्रतिबद्ध, समर्पित, समीक्षात्मक दृष्टि से युक्त, समाज एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तथा शिक्षा-कार्य के लिए अभिप्रेरित अध्यापक, शोधवेत्ता एवं शिक्षाविद बन सकें। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शोधकार्य को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विकास करना एवं हिंदी माध्यम से शिक्षाशास्त्र से संबंधित पाठ्य सामग्री का विकास करना इस विद्यापीठ के उद्देश्यों में निहित है।

इस विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग/केंद्र स्थापित किये गये हैं–

1. शिक्षा विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. शिक्षाशास्त्र
- एम.एड.
- बी.एड.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

2. मनोविज्ञान विभाग

संचालित कार्यक्रम

- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- परामर्श एवं निर्देशन में पी.जी. डिप्लोमा

प्रबंधन विद्यापीठ

प्रबंधन विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ में आधुनिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में अनुप्रयुक्त व्यावसायिक अध्ययन से जुड़े रोज़गारपरक नवाचारी कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य समाज एवं बाजार की माँग को ध्यान में रखते हुए संबंधित ज्ञान एवं कौशल को विकसित करना है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग स्थापित किया गया हैं–

1. प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. प्रबंधन
- एम.बी.ए.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र

क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज

भूखण्ड संख्या–6/आई-3 झूंसी योजना–3,
प्रयागराज–211019, उत्तर प्रदेश
फोन नं. 0532–2424442

प्रयागराज केंद्र की स्थापना वर्ष 2009 ई. में हुई। इस केंद्र पर स्थानीय आवश्यकताओं को समाविष्ट करते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों में संचालित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें हिंदी के अनेक नवोन्मेषी कार्यक्रम हैं जो हिंदी के विद्यार्थियों/शोधार्थियों के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएँ उद्घाटित करते हैं। मूलतः हिंदी क्षेत्र के केंद्र में स्थित होने के कारण इस केंद्र को हिंदी संबंधी अध्ययन एवं शोध के अनूठे केंद्र के रूप में विकसित करना हैं, जो हिंदी के साथ शेष भारतीय भाषाओं, उनके साहित्यों और सांस्कृतिक वैविध्य को अपने अध्ययन का केंद्रीय लक्ष्य मानकर कार्य करने के लिए प्रतिश्रुत है।

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी साहित्य
- पी-एच.डी. स्त्री अध्ययन
- एम.ए. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी (अनुवाद)
- एम.ए. हिंदी (भाषाशिक्षण)
- एम.ए. स्त्री अध्ययन
- एम.एस.डब्ल्यू.
- बी.जे.एम.सी. (एक वर्षीय)
- अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

एकतान, ईजेडसीसी, आईए.290, सेक्टर 3, साल्ट लेक, कोलकाता. 97 (प.बं.) फोनः 033 . 46039985

इस केंद्र की स्थापना वर्ष 2009 ई. में की गई। इस केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों के कार्यक्रमों को विशेषतः उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए की गई। इस केंद्र का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और सार्क देशों की जनजातीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के साहित्य तथा संस्कृति के साथ हिंदी का संबंध प्रगाढ़ करना, उनसे साहित्यिक-सांस्कृतिक संबंध जोड़ना, पूर्वोत्तर भारत और सार्क देशों की भाषाओं के बीच समन्वय की संस्कृति को बढ़ावा देना है। हिंदी माध्यम से अध्ययन, शोध और नवाचार के अनेक उपक्रमों तथा अनुवाद के माध्यम से कोलकाता केंद्र को पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का अनुशीलन केंद्र और सार्क देशों का अध्ययन केंद्र बनाना है।

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी साहित्य
- पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन
- एम.ए. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी (अनुवाद)
- एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक भारतीय साहित्य)
- अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा

दूर शिक्षा निदेशालय

दूर शिक्षा निदेशालय

दूर शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले उच्च शिक्षा के अभिलाषी विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम से विभिन्न ज्ञानानुशासनों में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जिनकी नियमित उच्च शिक्षा सेवायोजित होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से बाधित हो गयी है। दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का विवरण दूर शिक्षा की विवरणिका में देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए दूरभाष नं. (07152) 251613, 241040,) 247146 तथा टोल फ्री नं. 18002331575 पर संपर्क किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी कार्यक्रम

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के प्रमुख दायित्वों में से एक हिंदी को विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना भी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए केंद्रीय और समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए भी विश्वविद्यालय निरंतर प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय का भाषा विद्यापीठ अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन, प्रबंधन, नियमन और शिक्षण करता है। अब तक इन कार्यक्रमों में यूरोप, अमेरिका और एशिया के विभिन्न देशों. जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, चीन, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल, कोरिया आदि के विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन कर चुके हैं/कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने समय.समय पर विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक अनुबंध किए हैं। ये देश हैं. श्रीलंका, हंगरी, मॉरिशस, जापान, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, रूस, चीन आदि।

संचालित कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम का नाम	अवधि	लक्ष्य / अर्हता
1	आधार कार्यक्रम	4 सप्ताह	ऐसे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जिनका हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से कोई परिचय नहीं है।
2	अल्पावधि गहन / प्रमाणपत्र कार्यक्रम **(Short Term Intensive Certificate Programme)**	4 सप्ताह	ऐसे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जिन्होंने कम-से-कम 1 या 2 सेमेस्टर की हिंदी संबंधी पाठ्यचर्या पूरी की हो।
3	सर्टिफिकेट	2 सेमेस्टर (1 वर्ष)	10+2 अथवा समतुल्य और हिंदी भाषा से सामान्य परिचय अथवा 4 सप्ताह का आधार कार्यक्रम
4	बी.ए. हिंदी (भाषा, साहित्य और संस्कृति)	6 सेमेस्टर (3 वर्ष)	10+2 और / दो सेमेस्टर का डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कार्यक्रम (यदि हिंदी भाषा व्यवहार में दक्षता नहीं है तो)
5	एम.ए. हिंदी	4 सेमेस्टर (2 वर्ष)	बी.ए. हिंदी (भाषा, साहित्य और संस्कृति) अथवा हिंदी में सर्टिफिकेट / डिप्लोमा (02 सेमेस्टर) के साथ सुसंगत विषयों में समतुल्य स्नातक उपाधि
6	पी-एच.डी.	6.12 सेमेस्टर	हिंदी अथवा सुसंगत विषय में 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि अथवा समतुल्य ग्रेड

टिप्पणी : जिन विश्वविद्यालयों के साथ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा का अनुबंध (MoU) है, उनके विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता आधारित अन्य कार्यक्रम भी संचालित होंगे।

1. सभी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य शुल्क Compulsory fees for all courses	**राशि (रुपये/डॉलर में) Amount in INR/USD**
(i) प्रवेश शुल्क (Admission fee)	**10 USD** अथवा **समतुल्य INR**
(ii) परिचय-पत्र शुल्क (Identity card fee)	**05 USD** अथवा **समतुल्य INR**
(iii) पुस्तकालय शुल्क (Library fee)	**10 USD** अथवा **समतुल्य INR (Per Semester)**
(iv) इंटरनेट शुल्क (Internet fee)	**250 INR (Per Month), 1500 INR (Per Semester)**
(v) परीक्षा शुल्क (Exam fee)	**10 USD** अथवा **समतुल्य INR (Per Semester)**
2. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)	**राशि (डॉलर में) Amount in USD**
आधार कार्यक्रम (Foundation Programme)	**150 USD** अथवा **समतुल्य INR**
अल्पावधि गहन/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम Short Term Intensive/Certificate Programme	**200 USD** अथवा **समतुल्य INR**
सर्टिफिकेट कार्यक्रम (Certificate Programme)	**400 USD** अथवा **समतुल्य INR (Per Semester)**
बी.ए. हिंदी (भाषा, साहित्य और संस्कृति) B.A. Hindi (Language, Literature and Culture)	**600 USD** अथवा **समतुल्य INR (Per Semester)**
एम.ए. हिंदी (M.A. Hindi)	**800 USD** अथवा **समतुल्य INR (Per Semester)**
पी-एच.डी. (Ph.D.)	**2000 USD** अथवा **समतुल्य INR (Per Year)**
3. छात्रावास शुल्क (Hostel Fee)	**राशि (रुपये में) Amount in INR**
1. Room Rent (including AC - Gym with Water - Electricity Charges)	**6000 INR (Per Month)**
4. छात्रावास मेस शुल्क (Hostel Mess Fee)	**राशि (रुपये में) Amount in INR**
(i) नाश्ता (Breakfast)	**100 INR**
(ii) लंच/डिनर (Lunch/Dinner)	**100 INR (Per Meal)**
(iii) चाय (Tea)	**15 INR**
(iv) कॉफी (Coffee)	**20 INR**

सुविधाएँ : फ़ादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास (वातानुकूलित) में आवासीय सुविधा, आई.सी.टी. सुविधायुक्त वातानुकूलित व्याख्यान कक्ष, कंप्यूटर प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, इंटरनेट (वाई-फाई), व्यायामशाला एवं क्रीड़ा-स्थल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।

प्रवेश : पी-एच.डी. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश.प्रक्रिया में शामिल होना होगा, अन्य कार्यक्रमों के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता होने पर प्रवेश.परीक्षा से छूट दी गयी है। किंतु केंद्र द्वारा हिंदी दक्षता संबंधी परीक्षा ली जा सकती है। प्रवेश होने की स्थिति में उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे–

1. छात्र वीज़ा (अन्य प्रकार के वीज़ा मान्य नहीं)
2. चिकित्सा प्रमाणपत्र (भारत सरकार द्वारा निर्धारित)।
3. अर्हता (तुल्यता) प्रमाण पत्र।

प्रवेश के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संबंधी जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

संपर्क : फ़ोनः +91.7152.251134, ई.मेल: isa.mgahv@gmail.com

शुल्क-विवरण

बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय कार्यक्रम)

शुल्क मद	सेमेस्टर	प्रवेश शुल्क	शिक्षण शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	सुरक्षा राशि (प्रतिदेय)	परीक्षा शुल्क (वार्षिक)	स्टूडियो / प्रयोगशाला / क्षेत्रीय कार्य / शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	पुस्तकालय शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	सांस्कृतिक कार्यक्रम / खेलकूद शुल्क (वार्षिक)	परिचय पत्र शुल्क	इंटरनेट शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	चिकित्सा शुल्क (वार्षिक)	विद्यार्थी कल्याण कोष (वार्षिक)	कुल
	प्रथम	300	13250	250	250	विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक द्वारा विद्यार्थियों के साथ परामर्श कर आवश्यकतानुसार शुल्क निर्धारित किया जाएगा।	100	75	25	600	50	100	15000
	द्वितीय	–	14300	–	–		100	–	–	600	–	–	15000
	तृतीय	–	13825	–	250		100	75	–	600	50	100	15000
	चतुर्थ	–	14300	–	–		100	–	–	600	–	–	15000
	पंचम	–	13825	–	250		100	75	–	600	50	100	15000
	षष्ठ	–	14300	–	–		100	–	–	600	–	–	15000
	सप्तम	–	13825	–	250		100	75	–	600	50	100	15000
	अष्ठम	–	14300	–	–		100	–	–	600	–	–	15000
	नवम	–	13825	–	250		100	75	–	600	50	100	15000
	दशम	–	14300	–	–		100	–	–	600	–	–	15000

विभागों / कार्यक्रमों संबंधी और अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट : http://hindivishwa.org/school.aspx पर लॉगइन करें।

विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित है। अतः प्रवेशार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वे महात्मा गांधी की आचार-पद्धति और गांधीवादी मूल्यों के प्रति सम्मानशील रहें।

अकादमिक विशेषताएं

1. प्रत्येक विद्यार्थी को बिना अतिरिक्त शुल्क के कंप्यूटर में प्रशिक्षण की सुविधा।
2. 24×7 वाई-फाई युक्त संपूर्ण परिसर।
3. सी.बी.सी.एस. (CBCS) एवं अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या संरचना (LOCF) के अनुसार विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वैकल्पिक पाठ्यचर्याएं चुनने की स्वतंत्रता।
4. सत्र 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है, किंतु पूर्व में संचालित कार्यक्रम भी जारी रहेंगे।
5. अर्न व्हाइल लर्न (EWL) योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन कार्यक्रम जारी रखने में सहयोग।
6. कोविड-19 जनित परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षण की सम्यक् व्यवस्था।

प्रवेश के नियम

1. प्रत्येक कार्यक्रम हेतु पृथक् ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
2. समस्त कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से होंगे। प्रक्रिया का विवरण संबंधित कार्यक्रम के साथ अंकित है और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश संबंधी प्रक्रिया एवं नियमों में कोई बदलाव होता है तो वह केवल विश्वविद्यालय की **वेबसाइट:** www.hindivishwa.org पर अपलोड किया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। सूचना प्राप्ति में देरी, सूचना न मिलने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की शिकायत/सुझाव हेतु विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश शिकायत निवारण (Admission Grievances) पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।
3. नवप्रवेशित विद्यार्थियों/शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के साथ ही समय-समय पर जारी कार्यालयादेशों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं तथा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी/शोधार्थी एक नियमित कार्यक्रम के साथ सिर्फ एक सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा अथवा पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश ले सकेंगे।
5. प्रवेशार्थी ने जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है, उससे भिन्न कार्यक्रम में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा एक बार अध्ययन केंद्र एवं परीक्षा केंद्र चयन के पश्चात् उनमें परिवर्तन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
7. किसी विषय में उच्च उपाधिधारक को उसी विषय के निम्न उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. किसी भी कार्यक्रम की प्रवेश की पात्रता के रूप में निर्धारित अर्हता परीक्षा में बैठने जा रहे अभ्यर्थी अपने निजी उत्तरदायित्व पर प्रवेश-परीक्षा में बैठ सकते हैं। चयनित होने की स्थिति में वे प्रवेश के लिए तभी अधिकृत होंगे, जब उन्होंने अर्हता परीक्षा में अंकों का न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत प्राप्त किया होगा। उन्हें पंजीयन के लिए निश्चित समय-सीमा (प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा) से पूर्व अर्हता परीक्षा के अंतिम अंक-पत्र सहित सभी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ऐसा न करने की स्थिति में उनका प्रवेश/नामांकन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
9. प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी को मूल प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी प्रवेश के दौरान किसी कारणवश प्रवजन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर सकेंगे, उन विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा; अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज सॉफ्टकॉपी के रूप में उपलब्ध कराएँ और दिए गए अन्य निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए https://mgahvadmission.samarth.edu.in के माध्यम से आवेदन करें।
11. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते समय अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की एक-एक प्रति प्रवेश प्रकोष्ठ में जमा करनी होगी तथा मूल प्रति सत्यापन के लिए उपलब्ध करानी होगी।
12. शैक्षणिक भ्रमण मद में प्राप्त राशि से ही शैक्षणिक भ्रमण आयोजित होंगे। अतिरिक्त व्यय विद्यार्थी स्वयं वहन करेंगे।
13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को नियमानुसार शिक्षण शुल्क से छूट दी जाएगी।
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना गलत पायी जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
15. **आरक्षण** : भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार देय होगा। सीटें रिक्त होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थान नियमानुसार अंतरपरिवर्तनीय होंगे। अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) को 27% एवं आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देय है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) देय है।
16. **शिक्षण माध्यम** : विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी है। अतः सभी प्रवेशार्थियों से हिंदी भाषा में दक्षता अपेक्षित है।
17. **शुल्क वापसी** : किसी भी कार्यक्रम से नामांकन रद्द होने/रद्द कराने की स्थिति में शुल्क की वापसी नियमानुसार ही हो सकेगी।
18. प्रवेश के संबंध में किसी मामले में विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र वर्धा/नागपुर होगा।
19. परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अर्हता परीक्षा के बाद अंतराल तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
20. स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अर्हता परीक्षा के बाद अंतराल तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

रैगिंग निषेध संबंधी विवरण

विश्वविद्यालय परिसर (छात्रावास सहित) में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों पर नियामानुसार अनुशासनात्मक/कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रवेश के समय स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र देना अनिवार्य है। रैगिंग निषेध संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर http://www.mgahv.in/pdf/gen/gen2021/gazzet_aug_2021.pdf अपलोड की गई है। अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक इसका अवलोकन करें तथा संबंधित प्रावधानों से अवगत हों।

उपलब्ध सुविधाएँ

विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है–

1. **छात्रावास** : नियमित कार्यक्रम के छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्धता तथा वरीयता के आधार पर प्रदान की जाती है। छात्रावास हेतु आवेदन पत्र प्रवेश के उपरांत कुलानुशासक कार्यालय अथवा संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। छात्रावास आवंटन के पश्चात् विद्यार्थियों को दो माह का अग्रिम मेस शुल्क **सहायक कुलसचिव, परिसर विकास कार्यालय** से चालान प्राप्त कर विश्वविद्यालय के **खाता सं.: 972110210000044, IFSC Code : BKID0009721** में जमा करना होगा। समस्त रहवासियों को मेस में खाना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2. लीला (LILA) एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला

'लीला' (Laboratory in Informatics for the Liberal Arts) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित सूचना-प्रौद्योगिकी अनुषंग है। इक्कीसवीं सदी की विश्व व्यवस्था में सामान्यतः और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की केंद्रीय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अभिकलन (Computing) से प्रगाढ़ व्यावहारिक परिचय को पाठ्यचर्या के रूप में अपनी पाठ्यसंहिता के अंतर्गत रखा है। विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में अभिकलन-आधारित पाठ्यचर्याओं का निर्धारण एवं शिक्षण, अभिकलनमूलक स्वतंत्र कार्यक्रमों को चलाना, 'लीला' की जिम्मेदारियाँ हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के आधुनिकतम संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में एक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ न सिर्फ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, बल्कि कंप्यूटर के शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध और ज्ञान की अधुनातन प्रविधियों से भी अवगत कराया जाता है।

3. केंद्रीय पुस्तकालय

महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों से संबंधित एक लाख से अधिक पाठ्य-पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के उपयोग हेतु महत्त्वपूर्ण शोध-पत्रिकाएँ, ई-संसाधन एवं ऑनलाइन जर्नल भी उपलब्ध हैं।

4. क्रीड़ा और खेलकूद

विश्वविद्यालय का विद्यार्थी शारीरिक गतिविधियों तथा संगठित खेलकूद और खेल कार्यक्रमों के महत्त्व से अवगत होता है जिन्हें उसके शैक्षणिक लक्ष्यों के साथ जोड़ना आवश्यक है। विश्वविद्यालय ने मेजर ध्यानचंद की स्मृति में एक स्थायी क्रीड़ा स्थल विकसित किया है।

5. विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र संचालित है।

6. नियोजन प्रकोष्ठ

विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर से परिचित कराने एवं इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विश्वविद्यालय में व्यवसाय एवं नियोजन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ समय. समय पर रोजगार एवं नियोजन के संदर्भ में मार्गदर्शन एवं परामर्श से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इस प्रकोष्ठ का यह भी प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को उभरते स्वरोजगार के अवसरों से भी परिचित कराया जाए।

अकादमिक कैलेंडर 2021-22

(क)	अकादमिक कैलेंडर	
01	शैक्षणिक सत्र (तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर)	06 सितंबर, 2021 से
02	शैक्षणिक सत्र (प्रथम सेमेस्टर)	16 सितंबर, 2021 से
03	टर्मपेपर/सेमिनार जमा करने की अंतिम तिथि	20 दिसंबर, 2021
04	परीक्षा तैयारी अवकाश	21 से 26 दिसंबर, 2021
05	सत्रांत परीक्षा (मानसून.सत्र)	27 दिसंबर, 2021 से 20 जनवरी, 2022
06	शैक्षणिक सत्र (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर)	27 जनवरी 2022 से
07	टर्मपेपर/सेमिनार जमा करने की अंतिम तिथि	21 मई, 2022
08	परीक्षा तैयारी अवकाश	21 से 25 मई, 2022
09	सत्रांत परीक्षा (शीत.सत्र)	29 मई, 2022 से 28 जून, 2022
10	ग्रीष्मावकाश	29 जून, 2022 से 28 जुलाई, 2022
11	अध्ययन मंडल की बैठक	प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक (01) बैठक एवं पूरे अकादमिक सत्र में दो (02) बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
12	स्कूल बोर्ड की बैठक	
13	विद्या.परिषद् की बैठक	
(ख)	अन्य आयोजन/कार्यक्रम (सत्र 2021.22)	
1	कबीर जयंती	5 जून, 2021
2	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	21 जून, 2021
3	तुलसीदास जयंती	15 अगस्त, 2021
4	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2021
5	शिक्षक दिवस	5 सितंबर, 2021
6	हिंदी दिवस	14 सितंबर, 2021
7	महात्मा गांधी जयंती	2 अक्टूबर, 2021
8	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर, 2021
9	राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस	09 नवंबर, 2021
10	शिक्षा दिवस	11 नवंबर, 2021
11	संविधान दिवस	26 नवंबर, 2021
12	अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस	10 दिसंबर, 2021
13	खेल/सांस्कृतिक सप्ताह (एक सप्ताह)	21 से 27 दिसंबर, 2021
14	स्थापना दिवस	08 जनवरी, 2022
15	युवा दिवस	12 जनवरी, 2022
16	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2022
17	मातृभाषा दिवस	21 फरवरी, 2022

प्रवेश कार्यक्रम 2021-22

(ग)	म.गां.अं.हिं.वि.विधि प्रवेश परीक्षा / MGAHV Law Entrence Test (MGAHV-LET)	
01	बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय कार्यक्रम) हेतु शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	23 अगस्त (सोमवार) से 20 सितम्बर (सोमवार) 2021
02	बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय कार्यक्रम) की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा	30 सितंबर 2021
03	बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय कार्यक्रम) की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	08 अक्टूबर 2021
04	बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय कार्यक्रम) में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की तिथि	11-12 अक्टूबर 2021

परीक्षा तिथि और समय में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदन-पत्र का शुल्कः (बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय कार्यक्रम) हेतु) : अना. / अपिव.(नॉन क्रीमी लेयर) / ई.डब्ल्यू. एस. : रु. 500 / तथा अजा / अजजा / दिव्यांग : रु. 300 (ऑनलाइन भुगतान)।

पत्राचार पता : **सहायक कुलसचिव (प्रवेश प्रकोष्ठ)**
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा.442001 (महाराष्ट्र) भारत
टोल फ्री नंबरः 1800 2332 141, फोन नं.: 07152.251661
ई.मेलः admissionmgahv@gmail.com, **वेबसाइट** : www.hindivishwa.org

कोविड–19 जागरुकता

- कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के मद्देनज़र दिनांक 17 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता और सावधानियाँ आदि के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल तथा सिविल सर्जन डॉ. पुरुषोत्तम मडावी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में अधिकारियों तथा शैक्षणिक कर्मियों को संबोधित कर जानकारी दी गयी।
- दिनांक 16.03.2020 (सोमवार) को जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम मडावी का कोरोना जागरूकता विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान रिकार्ड किया गया। जो https://www.youtube.com/watch?v=-LmkrpfoUpQ लिंक पर उपलब्ध है।

- दिनांक 21 मार्च 2020 को प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु महत्त्वपूर्ण संदेश जारी किया, जो https://youtu.be/YQgf-9BKTsQ लिंक पर उपलब्ध है।

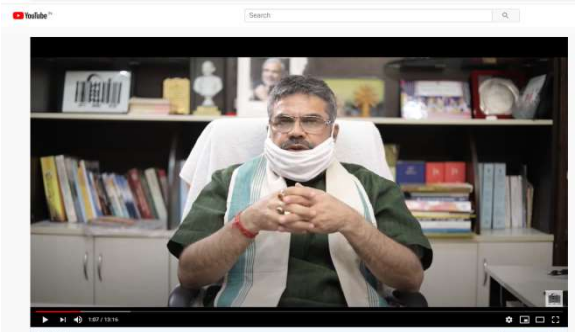

- दिनांक 23 अप्रैल 2020 को प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संदर्भ में अपील की, जो https://youtu.be/7ADfnVH2fLE लिंक पर उपलब्ध है।

वर्धा महाराष्ट्र राज्य का एक जिला मुख्यालय है जो उपराजधानी नागपुर से लगभग 80 कि.मी. दूर नागपुर.मुंबई राजमार्ग पर स्थित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तपस्थली 'सेवाग्राम' वर्धा में ही स्थित है। वर्धा की अवस्थिति देश के लगभग बीचो.बीच है। वर्धा पहुँचना बहुत आसान है। रेल, सड़क और वायु.तीनों मार्गों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। रेलमार्ग से यह समूचे देश से जुड़ा है। यहाँ 'सेवाग्राम' और 'वर्धा' दो रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ से लगभग 70 कि.मी दूरी पर नागपुर का बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- कोविड-19 महामारी के दौरान भी छात्र-छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास अनवरत खुले रहे।
- विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्वविद्यालय कार्यदिवस में कार्यालयीन अवधि के दौरान टोल फ्री नं. **18002332141** की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। परामर्श हेतु दो काउसंलर कर्तव्यस्थ किये गये हैं।
- कोविड-19 से बचाव हेतु संपूर्ण परिसर का नियमित सेनेटाइज़ेशन किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
- सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जरूरतमंद लोगों को विश्वविद्यालय द्वारा सहायता एवं सहयोग प्रदान किया गया।
- कोविड-19 महामारी के कारण फैली निराशा के बीच भी सामान्य न्यूनतम आवश्यक कार्य के साथ-साथ सामान्य अनुसंधान एवं अध्ययन-अध्यापन की निरंतरता बनी हुई है।
- शारीरिक दूरी, मुखावरण (फेस मास्क) आदि सुरक्षात्मक उपायों के साथ विश्वविद्यालय के कोविड-19 से मुक्त परिसर में अध्ययन-अध्यापन एवं शोध की गतिविधियों को निरंतरता प्रदान की जा रही है। ऐसे सुरक्षित परिसर में नवागंतुक छात्रों के योगक्षेम की चिंता करते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए विश्वविद्यालय बद्धपरिकर है।
- सामान्य स्थिति बहाल होने तक विश्वविद्यालय अध्ययन-अध्यापन की निरंतरता को बनाए रखते हुए सभी कार्यक्रम सरल व सुलभ तकनीक का प्रयोग कर ऑनलाइन माध्यम से संचालित करता रहेगा।

संविधान की मूल प्रति से उद्धृत

भारत का संविधान

प्रस्तावना

भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को: सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छ विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

ज्ञान शांति मैत्री

विधि विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्टः हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : (07152) 230910 ई-मेल : lawmgahv2@gmail.com, वेबसाइट : www.hindivishwa.org